


79

186

निगम 5296/2018/सतना/भूवा

न्यायालय, माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)



1. अरुण कुमार शर्मा तनय बेदनारायण शर्मा,
2. शैलेश शर्मा तनय बेदनारायण शर्मा
3. अनिल शर्मा तनय बेदनारायण शर्मा

सभी निवासी ग्राम-मैनहा, तहसील उँचेहरा, जिला-सतना (म0प्र0)

-----आपत्तिकर्ता / आवेदकगण

आवेदक गण की ओर से
श्री लक्ष्मी लाल शर्मा
वेग / 30.8.18

बनाम

1. रामनरेश गर्ग तनय शीतल प्रसाद गर्ग, निवासी ग्राम-मैनहा, तहसील उँचेहरा, जिला-सतना (म0प्र0)

-----अनावेदकगण

सर्किट कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील उँचेहरा वृत्त लगरगवाँ, जिला-सतना (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण क्र. 60/अ-12/2017-18 आदेश दिनांक 06.08.2018 निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्नलिखित हैं :-

यह कि अनावेदक क्र. 1 आराजी नं. 146/5 रकवा 0.554 हे. एवं आराजी नं. 158/3 रकवा 0.167 हे. किता 2 स्थित मौजा मैनहा, तहसील उँचेहरा जिला-सतना (म0प्र0) का भूमिस्वाभी एवं आधिपत्यधारी है तथा उक्त आराजी से लगी हुई आराजी नं. 158/2क/1,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(79)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग05296/भू-रा0/2018/सतना

जिला-सतना

अरुण कुमार शर्मा/रामनरेश गर्ग

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री छत्रपाल सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, वृत्त लगरगवां, तहसील उचेहरा के प्रकरण क्रमांक 60/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 06.08.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील ऊचेहरा, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो।</p>	

(बी.एम.शर्मा),
सदस्य